ए.बी.एम.एम.
माहेश्वरी रिलीफ फाउंडेशन

अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा का प्रेरणा प्रकल्प
माहेश्वरी महासभा भवन, अग्याराम देवी मंदिर रोड, गणेश पेठ, नागपुर - 440018

महेश आवास योजना

आवेदन पत्र

(1) आवेदक का पूरा नाम ______________________

(2) पता ______________________

____

____

(3) परिवार में सदस्यों की संख्या ______________________

(4) महासभा सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण सदस्यता क्रमांक ______________________

(5) सामूहिक आवास योजना क्रियान्वित करने वाले संगठन की जानकारी ______________________

(6) पता ______________________

____

____

मोबाईल नं. ______________________ ई मेल ______________________

(7) प्रधानमंत्री आवस योजना के तहत पंजीकरण नं. ______________________

(8) बैंक से स्वीकृत ऋण की जानकारी(कृपया ऋण स्वीकृति पत्र संलग्न करें) ______________________

(9) बैंक का नाम ______________________

(10) पता ______________________

(11) फोन नं. ______________________ ई मेल ______________________

(12) आवेदक का ऋण खाता नं. ______________________ ऋण अवधि ______________________

(13) ऋण राशि ______________________

(14) मासिक किश्त ______________________

(15) मासिक किश्त शुरू होने की तारीख ______________________

(16) महासभा के योगदान की प्रोत्साहन राशि रु. ______________________

राशि (शब्दों में) ______________________

(17) प्रदेश /जिला/स्थानीय सभा की योगदान की प्रोत्साहन राशि ______________________

राशि (शब्दों में) ______________________

"हर परिवार का सपना-सर पर छत हो अपना"
"सबका विकास-सबका आवास

आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज/ छायाप्रति संलग्न करें :-

(1) आवेदक के आधार कार्ड की छायाप्रति।

(2) आवेदक के ए. बी. एम. एम. एप के स्क्रीनशॉट की छायाप्रति।

(3) स्थानीय /जिला/प्रदेश सभा का अनुशंसा प्रपत्र।

(4) आवेदक के द्वारा भरा गया शपथ पत्र।

(5) संगठन द्वारा मासिक सहायता किश्त हेतु सहमति पत्र।

(6) प्रधानमंत्री आवास योजना स्वीकृति पत्र।

(7) बैंक द्वारा आवास ऋण स्वीकृति पत्र।

(8) आवास का रजिस्टर्ड क्रय पत्र।

"हर परिवार का सपना-सर पर छत हो अपना"
"सबका विकास-सबका आवास

स्थानीय व नगर / तहसील सभा द्वारा अनुशंसा पत्र

श्री / श्रीमती ______________________________

आत्मज ______________________________

को मैं __________ वर्षों से जानता हूँ। उन्हें महेश आवास योजना के अंतर्गत मासिक ऋण सहयोग की राशि के लिए अनुशंसा की जाती है।

नाम

मोबाइल नंबर

तहसील सभा / नगर सभा / स्थानीय सभा / स्थानीय संगठन

अध्यक्ष सचिव

हस्ताक्षर (पद मोहर)

जिला सभा द्वारा अनुशंसा पत्र

श्री / श्रीमती ______________________________

आत्मज ______________________________

को मैं __________ वर्षों से जानता हूँ। उन्हें महेश आवास योजना के अंतर्गत मासिक ऋण सहयोग की राशि के लिए अनुशंसा की जाती है। उनका सामजिक आर्थिक सर्वेक्षण क्रमांक __________ है तथा सामजिक आर्थिक सर्वेक्षण प्रपत्र में उनकी वार्षिक आय रु. __________________(दिनांक 31 जनवरी 2022 के पूर्व) घोषित है, जिसकी पुष्टि कर ली गयी है।

नाम

मोबाइल नंबर

जिला अध्यक्ष / जिल सचिव

हस्ताक्षर (पद मोहर)

प्रदेश सभा द्वारा अनुशंसा पत्र

श्री / श्रीमती ______________________________

आत्मज ______________________________

को मैं __________ वर्षों से जानता हूँ। उन्हें महेश आवास योजना के अंतर्गत मासिक ऋण सहयोग की राशि के लिए अनुशंसा की जाती है। उनका सामजिक आर्थिक सर्वेक्षण क्रमांक __________ है तथा सामजिक आर्थिक सर्वेक्षण प्रपत्र में उनकी __________________ वार्षिक आय रु. (दिनांक 31 जनवरी 2022 के पूर्व) घोषित है, जिसकी पुष्टि कर ली गयी है।

नाम

मोबाइल नंबर

जिला अध्यक्ष / जिल सचिव

हस्ताक्षर (पद मोहर)

शपथ पत्र

मैं (आवेदक) ——————————————————————————————
शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मेरी पारिवारिक आमदनी रू. 3 लाख/प्रति वर्ष तक है। मेरा देश में कही भी निजी निवास, पैतृक निवास या संयुक्त परिवार में किसी भी प्रकार की अंचल सम्पत्ति में हिस्सा नहीं है। यह आवास मेरे परिवार के निजी उपयोग के लिये ही होगा। इस आवास के ऋण अदायगी तक मै इसको नहीं बेचुंगा/बेचुंगी।

अगर किसी विशेष परिस्थिति में मुझे इसे विक्रय करना पड़ता है, तो स्थानीय/जिला संगठन की सहमति लेकर ही ऐसा करूंगा तथा महासभा व प्रदेश सभा द्वारा दिये गये प्रोत्साहन राशि को विक्रय किये गये राशि में से उनके बैंक खातों में प्राथमिकता के आधार पर वापस जमा करूंगा।

दिनांक :—
स्थान :—

नाम ——————————
पता ——————————
————————————
————————————

स्वीकृति पत्र

श्री/श्रीमती —————————————— आत्मज ———————————————
जो कि ————————————————— स्थानीय संगठन जिला ————————
से संबंधित हैं एवं उनका सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण सदस्यता क्रमांक.——————————
है।
प्रदेश सभा अपने हिस्से के प्रोत्साहन राशि को आवेदक के द्वारा लिये गये बैंक आवास ऋण खाते में निर्धारित अवधि तक दिये गये तिथि में जमा करने की स्वीकृति प्रदान करती है।

जिलासभा
जिलाध्यक्ष/जिलासचिव
हस्ताक्षर व पद मोहर
सम्पर्क सूत्र :— ....

प्रदेश सभा
प्रदेश अध्यक्ष/प्रदेश मंत्री
हस्ताक्षर व पद मोहर
सम्पर्क सूत्र :— ....

नियम एवं शर्तें

1. आवेदनकर्ता का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण में दिनाँक 31 जनवरी 2022 से पूर्व पंजीकरण होना आवश्यक होगा।
2. आवेदनकर्ता की वार्षिक पारिवारिक कुल आय 3 लाख से अधिक की नहीं होना चाहिए।
3. आवेदनकर्ता का देश में कही पर भी स्वयम का आवास, पैतृक संपत्ति अथवा संयुक्त परिवार की सम्पत्ति नहीं होनी चाहिए। (आवेदक से शपथ पत्र, स्थानीय संगठन से सत्यापन एवं पैतृक हिन्दू अविभाजित परिवार की संपत्ति सहित) शपथ पत्र प्रारूप के अनुसार सलंग्न करना होगा।
4. इस योजना के लाभ के लिये प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री आवास योजना में पंजीकरण या उससे लाभार्थी होना अनिवार्य रहेगा।
5. आवेदन श्रृखलाबद्ध संगठन की पद्धति से ही होगा। केन्द्र द्वारा तय आवेदन पत्र में ही कोई प्रदेश सभा सीधे आवेदन कर सकेगी, जिसे केन्द्र द्वारा संबंधित सहयोगी न्यास को भेजकर सहयोग करा सकेगा। यदि प्रदेश अपने न्यास (प्रदेश सभा के स्वंय के न्यास के द्वारा) अथवा अपने प्रदेश के निजी न्यासों से या प्रदेश के जिला सभा के न्यासों से सहयोग लेकर इस योजना में लाभार्थियों की संख्या को ज्यादा करना चाहे, तो वे इसके लिए स्वतंत्र रहेगें।
6. महासभा प्रतिवर्ष 201 परिवारों को सहयोग करेगी जिसका अनुपातिक आधार परिवारों की संख्या के आधार पर प्रदेशवार निर्धारित होगा।
7. राष्ट्रीय स्तर पर इस अभियान के तहत नादेड़ में जो पायलेट प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है उसमें भी यह सभी आर्हता पूरी रहेगी, केवल इस प्रोजेक्ट को 201 की संख्या (वार्षिक सहयोग घोषणा) के अनुपाति आधार से नादेड़ योजना को मुक्त रखा गया है, शेष आर्हता की पूर्ति आवश्यक रहेगी। उदाहरणार्थ मानले देश भर में कुल संख्या यदि 1,70,000 परिवारों की है, तो प्रति प्रदेश 2500 परिवार संख्या के आधार पर कुल 201 परिवारों के वार्षिक आबंटन में उस प्रदेश का हिस्सा 03 आवास का रहेगा (2500/1,70,000 त्र 1.47: हिस्सा 201'1ण्47ःत्र03)। जिस प्रदेश में 1,000 परिवारों के जिले नहीं है, उन प्रदेशों में 500 से 1000 परिवारों के जिलों से भी आवेदन लिया जा सकेगा। परिवारों की संख्या का आधार दिनांक 31 जनवरी 2022 रहेगा। जिन प्रदेशों में जनसंख्या कम है और 500 से अधिक परिवारों का जिला नहीं है, उन प्रदेशों में प्रदेश सभा को न्यूनतम 2 लाभार्थियों को लाभ देने का प्रावधान रहेगा, जिसकी गणना कुल वार्षिक आबंटन संख्या 201 में सम्मिलित रहेगी। उन छोटे प्रदेशों में भी शेष आर्हता समान रूप से लागू रहेगें। यहा स्पष्ट करना आवश्यक है कि इस योजना का उद्देश्य सभी प्रदेशों को लाभ देने का है।
8. यदि तय कोटे से अधिक आवेदन आते है तो प्रदेश सभा स्थानीय संगठन अपने स्तर पर सहयोग कर सकते हैं, महासभा द्वारा तय आवंटित लाभार्थियों की संख्या को ही राशि प्रदान की जायेगी। महासभा की प्रेरणा से गठित कोई भी न्यास सीधे सहयोग इस योजना में भी नही कर सकता। (आवश्यकता होने पर केंद्रीय स्तर पर चर्चा कर केंद्रीय न्यासों से आग्रह किया जा सकेगा)।
9. यदि प्रदेशों द्वारा तय कोटे से अधिक आवेदन प्राप्त होते है तो उन्हें लॉटरी आधार पर या पहले आओ पहले पाओ आधार पर लाभ दिया जा सकेगा। लाभार्थी के किश्त नहीं भरने पर यदि कोई कानूनी पेचीदगियां होती है, तो उसमें संगठन की जिम्मेदारी नही रहेगी। स्थानीय अनुशंसा करने वाले इस विषय को ध्यान में रखे कि इस प्रकार के लाभर्थियों का बीमा भी ऋण भुगतान का जो होता है वो स्थानीय स्तर पर जरूर करना चाहिए।
10. आवेदनकर्ता का आवेदन सम्बंधित स्थानीय/तहसील/नगर/जिला सभा एवं प्रदेश सभा से प्रारूप के अनुसार अनुशंसित होना चाहिये। जिसमें यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि दी जाने वाली सहयोग (प्रोत्साहन राशि) का एक तिहाई हिस्सा (निर्धारित अधिकतम सीमा के साथ) स्थानीय/जिला संगठन/प्रदेश सभा वहन करेगी एवं दो तिहाई हिस्सा महासभा की प्रेरणा से संचालित न्यास द्वारा वहन किये जायेंगे। स्थानीय सहयोग राशि के पश्चात ही केंद्र (महासभा द्वारा) प्रोत्साहन राशि (निर्धारित अधिकतम सीमा तक) दी जा सकेगी।

11 जिन आवेदक द्वारा आवेदन किया जाएगा केन्द्र अथवा राज्य सरकार की सब्सिडी के बाद शेष बची मासिक किश्त जो ऋण वापसी के लिये दी जाएगी उसके अधिकतम 33: प्रतिशत का भुगतान जिसमे एक तिहाई स्थानीय/जिला/प्रदेश सभा द्वारा एव दो तिहाई का भुगतान महासभा एवं उसकी प्रेरणा से संचालित न्यास द्वारा वहन किया जाएगा। इसकी अधिकतम राशि रू. 2000/– महासभा द्वारा एवं अधिकतम राशि रू. 1000/– स्थानीय /जिला /प्रदेश संगठन की रहेगी। मान लो यदि मासिक किश्त राशि रू. 6000/– की आती है तो दो तिहाई महासभा एवं एक तिहाई स्थानीय /जिला/ प्रदेश संगठन द्वारा तय अनुपात में दी जाएगी। अधिकतम से अधिक का भुगतान नही होगा, लेकिन यदि किश्त कम है तो निर्धारित अनुपात में ही सहयोग किया जा सकेगा। (यदि देय सहयोग एक तिहाई राशि रू. 2000/– ही बनता है तो उसका एक तिहाई स्थानीय/ जिला/प्रदेश संगठन एवं दो तिहाई केंद्र (महासभा) द्वारा देय रहेगा।

12 यदि आवेदक द्वारा अपने पूर्व में सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण में यह जानकारी दी कि उसकी (पारिवारिक आय) 3 लाख से अधिक है या पहले यह घोषणा कर रखी है कि उसका स्वयं का आवास है और बाद में उसमें परिवर्तन किया है तो उस आवेदन को समिति के सामने रख उसकी पुनः जाँच की जाएगी। यदि सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण में आय एवं आवास की जानकारी नहीं भरी गई है, तो उस प्रार्थना पत्र को सहयोग नहीं दिया जा सकेगा। (इसमें परिवर्तन को महासभा केंद्रीय कार्यालय में सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण समिति से सत्यापित कराया जाएगा)।

13 आवेदक को प्रथम तीन वर्ष के लिये आवेदन करना होगा, बाद में 2 वर्षो के लिये पूरक आवेदन करना होगा जिस पर अतिरिक्त सहयोग का निर्णय तय केंद्र के मानको की पूर्ति को पुनः सत्यापन कर देने निर्धारित सक्षम संमिति अधिकारी रहेगी। किसी भी परिस्थिति में प्रोत्साहन राशि का सहयोग 05 वर्षो से अधिक का नहीं रहेगा।

14 सहयोग लेने वाले परिवार से एक शपथ पत्र यह भी लिया जाएगा कि यह आवास वह स्वयं के उपयोग उपभोग हेतु ले रहा है, उसको ऋण वापसी से पूर्व विक्रय नहीं किया जा सकेगा, यदि किसी विशेष परिस्थिति में विक्रय की आवश्यकता रहती हैं, तो स्थानीय संगठन एवं सहयोगी न्यास को पहले सूचित कर विक्रय राशि में उनके अंशदान को वापसी करना होगा यह जवाबदेही स्थानीय संगठन के बंधुओ की रहेगी। (शपथ पत्र का प्रारूप)।

15 दिया जाने वाला सहयोग ब्याज मुक्त प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाएगा जो रिफंडेबल रहेगा (अनिवार्य नही) यदि 5 से 10 वर्षो में उस परिवार की स्थितियों में सुधार आता है, तो वो सहर्ष ऋण वापसी (सहयोग राशि को) वापस लौटा देंगे ताकि दूसरे जरूरतमन्द समाज बंधुओं को और सहयोग किया जा सके। वैसे हमारा समाज स्वाभिमान वाला समाज हैं, लेकिन उससे आगे बढ़ने के लिये प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। इसी भावना को दृष्टिगत रखते हुए इस सहयोग को प्रोत्साहन राशि नामांकित किया गया है और इस योजना में (ऐच्छिक ब्याज मुक्त वापसी का भी प्रावधान रखा गया हैं), ताकि लेने वाले को यह लगे कि मुझे समाज ने प्रोत्साहित करने के लिये सहयोग किया है, उसके मान सम्मान और स्वाभिमान को ध्यान में रखते हुए ही योजना का ढांचा बनाया गया है। चूंकि लाभार्थी परिवार पहले से ही सालाना 2 से 3 लाख अर्जित कर रहा है, हो सकता कुछ बन्धु चाह कर भी सहयोग नही लेवे तो उन्हें ऐच्छिक वापसी प्रावधान को समझाया जा सकता है।

16 इस योजना में आवेदक यह आवश्यक नहीं है कि समाज की सामुहिक निर्माण योजना में आवेदन करें। वह अपने सुविधानुसार उसे जहाँ भी ठीक लगे वो पूरी योजना को समझकर व्यक्तिगत रूप से भी आवेदन कर सकता है।

17 स्थानीय स्तर पर सामुहिक आवासों का निर्माण समाज के जो बिल्डर्स कर रहे हैं उनके साथ समाज के स्थानीय और प्रदेश के बन्धु बैठकर पूरी योजना को समझाने तथा यदि उस परिवार का कुल लागत में 10 से 15 प्रतिशत से अधिक के योगदान को रेखांकित करते है तो उस परिवार के नाम को योजना के साथ जोड़ा जा सकता है।

18 यह योजना केवल वित्तिय सहायता ना होकर समाज बंधुओं में स्वयं का आवास लेने के प्रति रुझान को बढ़ाने के लिये प्रोत्साहन राशि हैं, जो समाज बंधु समाज के आव्हान से प्रभावित होकर आगे बढ़कर अपना आवास लेते है और समाज से सहयोग भी नही लेना चाहते है उनको भी एक अलग आवेदन पत्र में केवल पंजीयन करना होगा कि हमने इस अभियान से प्रेरित होकर अपना आवास लिया है और कोई सामाजिक सहयोग नहीं लिया है। ऐसे पुरुषार्थी परिवारों को महासभा सम्मानित करेंगी।

19 आवेदन पत्र को संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों व छायाप्रति के साथ, दिये गये प्रारूप में शपथ पत्र को भरकर स्थानीय/नगर/तहसील/जिला/प्रदेश सभा के अनुशंसा पत्र के साथ महेश आवास योजना के समिति संयोजक के पास भिजवाना होगा।

20 इस योजना की सफलता और समाज बंधुओं के प्रतिसाद को देखते हुए महासभा के द्वारा इस योजना का समय समय पर पुर्नआंकलन किया जायेगा।

सधन्यवाद

श्याम सोनी	संदीप काबरा	अशोक बंग
सभापति	महामन्त्री	राष्ट्रीय संयोजक
अ.भा. माहेश्वरी महासभा	अ.भा. माहेश्वरी महासभा	महेश आवास योजना

- -

कार्यालयीन उपयोग हेतु

आवेदन पत्र प्राप्ति की तिथि ———————————— पंजीयन क्र.——————

स्वीकृत सहायता राशि रू. ———————————— प्रति माह ——————

प्रोत्साहन राशि प्रारंभ करने की तारीख ————————

महेश आवास योजना

(संयोजक)

हस्ताक्षर/पद/मोहर